



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com, eicpwwd@nic.in

पत्रांक- 16 / 174सा0प्र0 / 2018
सेवा में,

दिनांक- 05 / 01 / 2019

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर- I / II,
क्षेत्रीय कार्यालय / पी0एम0जी0एस0वाई0 /
रा0मा0 / पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0,
पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी / देहरादून /
टिहरी / पिथौरागढ़।

विषय:- जी0एस0टी0 की धारा-51 को लागू किये जाने के कारण ठेकेदारों/आपूर्ति से
2 प्रतिशत GST की कटौती करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्र संख्या-1061 / 174सा0प्र0 / 2018 दिनांक-26.09.2018 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के रेवन्यू डिपार्टमेन्ट के पत्र संख्या-एस0 31011/11/2018-ST-I दिनांक 14.09.2018 के द्वारा दिनांक 01.10.2018 से GST Act की प्रति संलग्न करते हुये एवं इस सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या-2137 / III (2) / 17-27(सामान्य) / 2017 दिनांक 05.09.2017 के अनुसार ठेकेदारों/आपूर्ति कर्ताओं से नियमानुसार दिनांक- 01.10.2018 से 2 प्रतिशत GST की कटौती करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही की आख्या से आतिथि तक अवगत नहीं कराया गया है।

अतः विषयगत प्रकरण पर की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या से तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त बैठक में अनुपालन आख्या से अवगत कराया जा सके।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लो0नि0वि0, ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थायी/रा0मा0/वि0यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, ।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को अपलोड करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
5-1-19